

## :: कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुना (म0प्र0) ::

क्रमांक 16 / एक / 11-1 / सां० / 2023

गुना, दिनांक 21.08.2023

### —:: आदेश ::—

1. मैं, वीरेन्द्र सिंह राजपूत, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना मध्य प्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 7(2) व 15 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 194 में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत, पूर्व कार्य विभाजन आदेश व संशोधनों को निरस्त करते हुए, इस न्यायिक जिला स्थापना पर कार्यरत न्यायाधीशों एवं न्यायालयों के लिए निम्नानुसार कार्य विभाजन आदेश जारी करता हूँ, जो दिनांक 21.08.2023 से अन्य आदेश होने तक प्रभावशील रहेगा।

सं. क्र.	न्यायाधीश	न्यायिक क्षेत्राधिकारिता		प्रकरणों का प्रकार/स्वरूप
1.	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुना	संपूर्ण सत्र खण्ड गुना	1	सत्र प्रकरण।
			2	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम/द्वितीय श्रेणी गुना/आरोन एवं द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राघौगढ़ तथा अनुविभागीय दण्डाधिकारी गुना/आरोन के द्वारा पारित निर्णय/दण्डादेश व आदेश (जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हो) के विरुद्ध अपील/पुनरीक्षण याचिकाएं।
			3	द0प्र0स0 की धारा 199(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
			4	द0प्र0स0 की धारा 438 व 439 के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन—पत्र, किंतु स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, विद्युत अधिनियम, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधि०, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि० (पॉक्सो) 2012, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, म0प्र0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम—2000 एवं व्यापम स्केम के प्रकरणों के जमानत आवेदन—पत्रों को छोड़कर।
			5	किशोर न्याय बोर्ड गुना के आदेश व निर्णय की अपीलें।
			6	सम्पूर्ण जिला गुना के बाल अधिकार आयोग अधिनियम 2005 के अधीन प्रस्तुत प्रकरण।
			7	द0प्र0सं० की धारा 408 एवं 409 अन्तर्गत प्रकरणों के अंतरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र।
			8	मानव अधिकार अधिनियम के अतिक्रमण से उद्भूत होने वाले प्रकरण।
			9	विकलांगता अधिनियम 2016 से संबंधित समस्त प्रकरण।
			10	विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले ऐसे आपराधिक मामले व आवेदन पत्र, जिन्हें विशेष/अपर सत्र न्यायाधीशों को आवंटित नहीं किये गये हैं, जो इस कार्यविभाजन आदेश में उल्लेखित से अन्यथा होकर सत्र न्यायाधीश के श्रवण क्षेत्राधिकार के योग्य हों।

सं. क्र.	न्यायाधीश	न्यायिक क्षेत्राधिकारिता	प्रकरणों का प्रकार/स्वरूप
		सिविल जिला गुना	<p>11 राजस्व तहसील गुना एवं बमौरी क्षेत्र के मूलवाद जो कि 1,00,00,001 (एक करोड़ एक) से अधिक किसी भी मूल्यांकन तक के मय दिवालिया प्रकरण।</p> <p>12 संपूर्ण जिले के व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।</p> <p>13 समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कनिष्ठ खण्ड गुना/आरोन एवं द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड राघौगढ़ एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय गुना तथा प्रशिक्षु न्यायाधीशगण गुना द्वारा व्यवहार वादों में पारित निर्णय/जयपत्र के विरुद्ध नियमित अपील एवं आदेशों के विरुद्ध विविध अपील।</p> <p>14 विशेष विवाह अधिकारी द्वारा विशेष विवाह अधिनियम—1954 के अधीन वैवाहिक मामलों में पारित आदेशों के विरुद्ध धारा—8 के अंतर्गत अपील।</p> <p>15 राजस्व तहसील गुना, बमौरी एवं आरोन क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति संबंधी प्रकरण एवं धारा 165 (2) के संशोधन के फलस्वरूप प्रस्तुत होने वाले क्लेम प्रकरण।</p> <p>16 समस्त व्यवहार जिला गुना के म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम—1961 की धारा 20 के अन्तर्गत चुनाव याचिका।</p> <p>17 तहसील गुना, बमौरी एवं आरोन क्षेत्र के पेट्रोलियम एवं मिनरल्स पाईप लाईन अधिनियम—1962 के अंतर्गत उद्भूत समस्त प्रकार के सिविल प्रकरण/आवेदन पत्र।</p> <p>18 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 20 (बी) के अंतर्गत सिविल जिला गुना की स्थानीय सीमाओं के अधोसंरचना परियोजनाओं से संबंधित प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>19 म0प्र0 न्यास अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत समस्त प्रकरण।</p> <p>20 भारतीय ट्रेडमार्क एवं ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण।</p> <p>21 तहसील गुना एवं बमौरी के किशोर न्याय अधिनियम की धारा 41 व मानसिक स्वास्थ्य अधि0, 1987 के तहत प्रकरण।</p> <p>22 केन्द्रीय शासन के अधिनियम एवं अन्य समस्त स्पेशल तथा लोकल लॉज के अधीन प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण एवं आवेदन पत्र, जिन्हें जिला न्यायाधीशों को आवंटित नहीं किये गये हैं, जो इस कार्यविभाजन आदेश में उल्लेखित से अन्यथा होकर प्रधान जिला न्यायाधीश के श्रवण क्षेत्राधिकार के योग्य हों।</p> <p>23 सरल क्रमांक—1 लगायत 22 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।</p>

सं. क्र.	न्यायाधीश	न्यायिक क्षेत्राधिकारिता		प्रकरणों का प्रकार/स्वरूप
2.	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) गुना	संपूर्ण सत्र खण्ड गुना  सिविल जिला गुना	1	सत्र न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किए गए सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आपराधिक प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।
			2	संपूर्ण गुना जिले के अनुसूचित जाति / अनु० जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम—1989 के अन्तर्गत (पॉक्सो एक्ट रहित) प्रस्तुत विशेष सत्र प्रकरण।
			3	संपूर्ण गुना जिले के अनुसूचित जाति / अनु० जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के धारा 438 व 439 द०प्र०सं० के अधीन (पॉक्सो एक्ट रहित) प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्रों सहित अनुषांगिक कार्यवाहियां।
			4	प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय—समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			5	सरल क्रमांक—1 लगायत 4 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध / निष्पादन प्रकरण।
3.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गुना	संपूर्ण सत्र खण्ड गुना  सिविल जिला गुना	1	सत्र न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किए गए सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आपराधिक प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।
			2	संपूर्ण गुना जिले के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।
			3	क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेन्ट एक्ट 1952 की धारा 7(2)के अन्तर्गत शासन / सत्र न्यायाधीश द्वारा सौंपे गये विशेष आपराधिक प्रकरण।
			4	जिला मुख्यालय पर पूर्व में कार्यरत ऐसे समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कनिष्ठ खण्ड एवं प्रशिक्षु न्यायाधीश, जिनका न्यायालय वर्तमान में रिक्त है, के द्वारा व्यवहार वादों में पारित निर्णय / जयपत्र के विरुद्ध अपील व आदेशों के विरुद्ध विविध अपील।
			5	तहसील आरोन में पूर्व में कार्यरत ऐसे व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड, जिनका न्यायालय वर्तमान में रिक्त है, के द्वारा व्यवहार वादों में पारित निर्णय / जयपत्र के विरुद्ध अपील व आदेशों के विरुद्ध विविध अपील।
			6	तहसील आरोन के मूलवाद जो कि, 1,00,00,001/-रु० (एक करोड़ एक) से अधिक किसी भी मूल्यांकन तक के मय दिवालिया प्रकरण।
			7	तहसील आरोन के लघुवाद अधिनियम के अंतर्गत 501/- रुपये से 1500/- रुपये तक के प्रकरण।
			8	तहसील गुना, बमौरी एवं आरोन के कॉर्मर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 (No. 4 of 2016) से संबंधित 01/- (एक रुपये) से लेकर 3,00,000/- (तीन लाख रुपये) के मूल्यांकन तक के समस्त प्रकार के सिविल प्रकरण।

सं. क्र.	न्यायाधीश	न्यायिक क्षेत्राधिकारिता	प्रकरणों का प्रकार/स्वरूप
			<p>9 तहसील गुना, बमौरी एवं आरोन क्षेत्र के (कॉर्मर्शियल कोर्ट एकट 2015 No. 4 of 2016 को छोड़कर) आर्बिट्रेशन संबंधी प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण।</p> <p>10 तहसील आरोन क्षेत्र के किशोर न्याय अधिनियम की धारा 41 एवं मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के तहत प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा विचारणीय प्रकरण।</p> <p>11 तहसील आरोन के भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तथा प्रोबेट एक रूपए से किसी भी मूल्यांकन तक के प्रकरण।</p> <p>12 थाना आरोन, एवं बजरंगगढ़ से उत्पन्न मोटर दुर्घटना की क्षतिपूर्ति के विविध प्रकरण।</p> <p>13 प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय—समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।</p> <p>14 सरल क्रमांक 1 लगायत 13 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।</p>
4.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गुना	सत्र खण्ड गुना	<p>1 सत्र न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किए गए सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपो पुनरीक्षण, विविध आपो प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।</p> <p>2 तहसील गुना, बमौरी एवं आरोन क्षेत्र के लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पॉक्सो एकट) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं उनसे संबंधित धारा 438, 439 दोप्र०सं० के अंतर्गत जमानत आवेदनों सहित अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियां।</p> <p>3 संपूर्ण गुना जिले के लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पॉक्सो एकट) के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिनमें अनु०जाति/अनु०जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का अपराध सम्मिलित हो एवं उनसे संबंधित धारा 438, 439 दोप्र०सं० के अंतर्गत जमानत आवेदनों सहित अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियां।</p> <p>4 तहसील गुना, बमौरी एवं आरोन क्षेत्र के बालक न्यायालय से संबंधित प्रकरण एवं उनसे संबंधित धारा 438, 439 दोप्र०सं० के अंतर्गत जमानत आवेदन पत्र।</p> <p>5 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेन्ट एकट 1952 की धारा 7(2)के अन्तर्गत शासन/सत्र न्यायाधीश द्वारा सौंपे गये विशेष आपराधिक प्रकरण।</p> <p>6 प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय—समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।</p> <p>7 सरल क्रमांक 1 लगायत 5 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।</p>
		सिविल जिला गुना	

सं. क्र.	न्यायाधीश	न्यायिक क्षेत्राधिकारिता		प्रकरणों का प्रकार/स्वरूप
5.	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गुना	सत्र खण्ड गुना  सिविल जिला गुना	1	सत्र न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, आप० अपील प्रकरण, पुनरीक्षण, विविध आप० प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।
			2	स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं उक्त अधिनियम के धारा 438 व 439 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदनों सहित अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियां।
			3	राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र।
			4	क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेन्ट एक्ट 1952 की धारा 7(2)के अन्तर्गत शासन/सत्र न्यायाधीश द्वारा सौंपे गये विशेष आपराधिक प्रकरण।
			5	राजस्व तहसील गुना, बमौरी, आरोन क्षेत्र के भू—अर्जन एवं भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनः स्थापन अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण।
			6	थाना गुना एवं म्याना से उत्पन्न मोटर दुर्घटना की क्षतिपूर्ति के विविध प्रकरण।
			7	म0प्र0 स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी के आदेश की अपील।
			8	नगरपालिका विधान के अंतर्गत 501/-रुपये से 1000/-रुपये तक के प्रकरण।
			9	राजस्व तहसील गुना, बमौरी एवं आरोन के भारतीय उत्तराधिकार अधि० के अंतर्गत लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तथा प्रोबेट एक रुपये से लेकर किसी भी मूल्यांकन तक के प्रकरण।
			10	गार्जियन एण्ड वार्डस एक्ट 1890 के अंतर्गत हिन्दू मायोनिरिटी एण्ड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के अंतर्गत तहसील गुना, बमौरी एवं आरोन क्षेत्र के प्रकरण, जिनकी क्षेत्राधिकारिता प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय गुना, जिला न्यायाधीश राधौगढ़ एवं चांचौड़ा को नहीं है।
			11	प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय—समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			12	सरल क्रमांक 1 लगायत 11 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।

सं. क्र.	न्यायाधीश	न्यायिक क्षेत्राधिकारिता		प्रकरणों का प्रकार/स्वरूप
6.	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गुना	सत्र खण्ड गुना  सिविल जिला गुना	1	सत्र न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, आप0 अपील प्रकरण, पुनरीक्षण, विविध आप0 प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।
			2	तहसील गुना, बमौरी एवं आरोन क्षेत्र के रेप, गैंग—रेप, रेप विथ मर्डर के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण एवं धारा 438, 439 द0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र।
			3	तहसील गुना, बमौरी एवं आरोन क्षेत्र के महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित समस्त सत्र प्रकरण एवं धारा 438, 439 द0प्र0सं0 के अधीन प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र।
			4	क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेन्ट एकट 1952 की धारा 7(2)के अन्तर्गत शासन/सत्र न्यायाधीश द्वारा सौंपे गये विशेष आपराधिक प्रकरण।
			5	थाना केन्ट से उत्पन्न मोटर दुर्घटना की क्षतिपूर्ति के विविध प्रकरण।
			6	प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय—समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			7	सरल क्रमांक 1 लगायत 6 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
7.	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गुना	सत्र खण्ड गुना	1	सत्र न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, आप0 अपील प्रकरण, पुनरीक्षण, विविध आप0 प्रकरण एवं जमानत आवेदन।
			2	चिन्हित, जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध से संबंधित प्रकरण (विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय मामलों को छोड़कर)।
			4	क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेन्ट एकट 1952 की धारा 7(2)के अन्तर्गत शासन/सत्र न्यायाधीश द्वारा सौंपे गये विशेष आपराधिक प्रकरण।
			5	मुख्यालय पर पूर्व में पदस्थ ऐसे अपर सत्र न्यायाधीश जिनका न्यायालय वर्तमान में रिक्त है, के द्वारा तथा तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश चांचौड़ा के द्वारा श्रृंखला न्यायालय गुना के दौरान मुख्यालय गुना क्षेत्र के निराकृत समस्त आपराधिक मामलों एवं अपील न्यायालयों से प्राप्त प्रकरणों में विधि अनुसार कार्यवाहियां।

सं. क्र.	न्यायाधीश	न्यायिक क्षेत्राधिकारिता		प्रकरणों का प्रकार/स्वरूप
		सिविल जिला गुना	6	तहसील गुना एवं बमौरी के लघुवाद अधिनियम के अंतर्गत 501/- से 1500/- रुपये तक के प्रकरण।
			7	थाना धरनावदा (गुना क्षेत्र), बमौरी, सिरसी एवं फतेहगढ़ से उत्पन्न मोटर दुर्घटना की क्षतिपूर्ति के विविध प्रकरण।
			8	मुख्यालय पर पूर्व में पदस्थ ऐसे जिला न्यायाधीश जिनका न्यायालय वर्तमान में रिक्त है, के द्वारा तथा तत्कालीन जिला न्यायाधीश चांचौड़ा के द्वारा श्रृंखला न्यायालय गुना के दौरान मुख्यालय गुना क्षेत्र के निराकृत समस्त सिविल/क्लेम प्रकरणों तथा अपील न्यायालयों से प्राप्त प्रकरणों में विधि अनुसार कार्यवाहियां।
			9	माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत के द्वारा सिविल अपील नं-9322/2022 गौहर मोहम्मद विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 15.12.2022 में उल्लेखित निर्देशों के अनुक्रम में जिला मुख्यालय गुना क्षेत्र से संबंधित पुलिस कोतवाली गुना, पुलिस आरक्षी केन्द्र केन्ट, म्याना, बमौरी, फतेहगढ़, सिरसी, आरोन, बजरंगगढ़ एवं धरनावदा (गुना क्षेत्र) की ओर से प्रस्तुत प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट (First Accident Report), विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (Detailed Accident Report) एवं अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (Interim Accident Report)।
			10	प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			11	सरल क्रमांक 1 लगायत 10 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
8.	सप्तम जिला एवं अपर सत्रन्यायाधीश गुना	सत्र खण्ड गुना	1	सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किए गए सत्र प्रकरण, आप० अपील प्रकरण, पुनरीक्षण, विविध प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।
			2	तहसील गुना, बमौरी, आरोन एवं सम्पूर्ण राघौगढ़ क्षेत्र के विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण व धारा 437, 438, 439 के अंतर्गत जमानत आवेदन पत्र।
			3	तहसील गुना, बमौरी एवं आरोन क्षेत्र से उत्पन्न म०प्र० निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम-2000 से संबंधित प्रकरण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियां।
			4	क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेन्ट एक्ट 1952 की धारा 7(2)के अन्तर्गत शासन/सत्र न्यायाधीश द्वारा सौंपे गये विशेष आपराधिक प्रकरण।

सं. क्र.	न्यायाधीश	न्यायिक क्षेत्राधिकारिता		प्रकरणों का प्रकार/स्वरूप
		सिविल जिला गुना	5	मुख्यालय पर पदस्थ ऐसे जिला न्यायाधीश जिन्हें सिविल कार्य आवंटित नहीं किया गया है, उनके द्वारा पूर्व में निराकृत समस्त सिविल/क्लेम प्रकरणों एवं अपील न्यायालयों से प्राप्त प्रकरणों में विधि अनुसार कार्यवाहियां।
			6	प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय—समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			7	स0क्रं 1 से 6 के क्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
9.	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, राघौगढ़ जिला गुना (म0प्र०)	सत्र खण्ड सम्पूर्ण क्षेत्र राघौगढ़	1	सत्र न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किए गए सत्र प्रकरण, आप० अपील प्रकरण, पुनरीक्षण, विविध प्रकरण एवं सुनवाई योग्य जमानत आवेदन।
			2	संपूर्ण राघौगढ़ क्षेत्र के सत्र प्रकरण एवं धारा 438 व 439 द.प्र.सं. के अंतर्गत जमानत आवेदन पत्र।
			4	संपूर्ण राघौगढ़ क्षेत्र से उत्पन्न रेप, गैंग—रेप, रेप विथ मर्डर सहित महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित प्रस्तुत समस्त प्रकरण एवं धारा 438, 439 द0प्र०सं० के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र।
			5	संपूर्ण राघौगढ़ क्षेत्र से उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि० 2012 (पॉक्सो एक्ट) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं उनसे संबंधित धारा 438, 439 द0प्र०सं० के अंतर्गत जमानत आवेदनों सहित अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियां।
			6	संपूर्ण राघौगढ़ क्षेत्र के बालक न्यायालय से संबंधित प्रकरण एवं उनसे संबंधित प्रतिभूति आवेदन पत्र।
			7	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राघौगढ़ को छोड़कर शेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी राघौगढ़ के द्वारा पारित निर्णय/दण्डादेश व आदेश (जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हो) के विरुद्ध अपील/पुनरीक्षण याचिकाएं।
			8	द्वितीय व्य० न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/न्या० मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राघौगढ़ को छोड़कर वर्तमान एवं तत्कालीन पदस्थ समस्त मजिस्ट्रेट द्वारा अल्प मात्रा वाले स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के मामलों में पारित निर्णय/आदेशों के विरुद्ध अपील एवं पुनरीक्षण याचिकाएं।
			9	संपूर्ण राघौगढ़ क्षेत्र के म0प्र० निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधि०—2000से संबंधित प्रकरण, अन्य अनुषांगिक कार्यवाहीयां।
			10	क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेन्ट एक्ट 1952, की धारा 7(2) के अंतर्गत सत्रन्यायाधीश द्वारा सौंपे गये विशेष आप० प्रकरण।
			11	पूर्व में कार्यरत अपर सत्र न्यायाधीश की श्रृंखला न्यायालय जो वर्तमान में संचालित नहीं है, के द्वारा निराकृत समस्त आपराधिक प्रकरणों एवं अपील न्यायालयों प्राप्त प्रकरणों में विधि अनुसार कार्यवाहियां।

सं. क्र.	न्यायाधीश	न्यायिक क्षेत्राधिकारिता	प्रकरणों का प्रकार/स्वरूप
		सिविल सम्पूर्ण क्षेत्र राघौगढ़	<p>12 संपूर्ण तहसील राघौगढ़ के मूलवाद, जो कि 1,00,00,001 (एक करोड़ एक) रुपये से अधिक किसी भी मूल्यांकन के मय दिवालिया प्रकरण।</p> <p>13 द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड राघौगढ़ को छोड़कर शेष व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ एवं कनिष्ठ खण्ड राघौगढ़ के द्वारा व्यवहार वादों में पारित निर्णय/जयपत्र के विरुद्ध अपील व आदेशों के विरुद्ध विविध अपील।</p> <p>14 संपूर्ण राघौगढ़ क्षेत्र से उत्पन्न मोटर दुर्घटना की क्षतिपूर्ति के प्रकरण एवं धारा 165 (2) के संशोधन के फलस्वरूप प्रस्तुत कलेम प्रकरण तथा विविध प्रकरण।</p> <p>15 सम्पूर्ण राघौगढ़ क्षेत्र के भू—अर्जन एवं भूमि अधिग्रहण, पुर्नवास एवं पुनः स्थापन अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण।</p> <p>16 संपूर्ण राघौगढ़ क्षेत्र के कॉमर्शियल कोर्ट एकट 2015 (No. 4 of 2016) से संबंधित 01/- (एक रुपये) से लेकर 3,00,000/- (तीन लाख रुपये) के मूल्यांकन तक के समस्त प्रकार के सिविल प्रकरण।</p> <p>17 संपूर्ण राघौगढ़ क्षेत्र के (कॉमर्शियल कोर्ट एकट 2015 No. 4 of 2016 को छोड़कर) आर्बिट्रेशन संबंधी प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण।</p> <p>18 सम्पूर्ण राघौगढ़ क्षेत्र के कुटुम्ब न्यायालय के सुनवाई योग्य प्रकरण।</p> <p>19 गार्जियन एण्ड वार्डस एकट 1890 के अंतर्गत हिन्दू मायोनिस्टी एण्ड गार्जियनशिप एकट 1956 के अंतर्गत सम्पूर्ण राघौगढ़ क्षेत्र के प्रकरण, जिनकी क्षेत्राधिकारिता प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय गुना एवं जिला न्यायाधीश चांचौड़ा को नहीं है।</p> <p>20 सम्पूर्ण राघौगढ़ क्षेत्र के पेट्रोलियम एवं मिनरल्स पाईप लाईन अधिनियम—1962 के अंतर्गत उद्भूत समस्त प्रकार के सिविल प्रकरण/आवेदन पत्र।</p> <p>21 म0प्र0 स्थान नियंत्रण अधि0 1961 के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील।</p> <p>22 संपूर्ण राघौगढ़ क्षेत्र के लघुवाद अधिनियम के अंतर्गत 501/- (पाँच सौ एक) रुपये से 1500/- (पन्द्रह सौ) रुपये तक के प्रकरण।</p> <p>23 संपूर्ण राघौगढ़ क्षेत्र के नगरपालिका विधान के अंतर्गत 501/- रुपये से अधिक मूल्यांकन तक के प्रकरण।</p> <p>24 संपूर्ण राघौगढ़ क्षेत्र के किशोर न्याय अधिनियम की धारा—41 एवं मानसिक स्वास्थ्य अधि0 1987 के तहत प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा विचारणीय प्रकरण।</p>

सं. क्र.	न्यायाधीश	न्यायिक क्षेत्राधिकारिता	प्रकरणों का प्रकार/स्वरूप
			<p>25 संपूर्ण राघौगढ़ क्षेत्र के भारतीय उत्तराधिकार अधि० के अंतर्गत लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तथा प्रोबेट एक रूपए से किसी भी मूल्यांकन तक के प्रकरण।</p> <p>26 पूर्व में कार्यरत जिला न्यायाधीश की श्रृंखला न्यायालय जो वर्तमान में संचालित नहीं है, के द्वारा निराकृत समस्त सिविल/क्लेम प्रकरणों एवं अपील न्यायालयों प्राप्त प्रकरणों में विधि अनुसार कार्यवाहियां।</p> <p>27 माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत के द्वारा सिविल अपील नं०-९३२२ / २०२२ गौहर मोहम्मद विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन व अन्य आदेश दि०-१५.१२.२०२२ में उल्लेखित निर्देशों के अनुक्रम में तहसील राघौगढ़ क्षेत्र से संबंधित पुलिस आरक्षी केन्द्र राघौगढ़, मधुसूदनगढ़, जामनेर, विजयपुर एवं धरनावदा (राघौगढ़ क्षेत्र) की ओर से प्रस्तुत प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट ( First Accident Report ), विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट ( Detailed Accident Report ) एवं अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट ( Interim Accident Report )।</p> <p>28 प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।</p> <p>29 सरल क्रमांक 1 लगायत 28 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।</p>
10.	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चॉचौड़ा, जिला गुना (म०प्र०)	सत्र खण्ड गुना/ तहसील चॉचौड़ा एवं कुम्भराज	<p>1 सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किए गए सत्र प्रकरण, आप० अपील प्रकरण, पुनरीक्षण, विविध प्रकरण एवं सुनवाई योग्य जमानत आवेदन।</p> <p>2 तहसील चांचौड़ा एवं कुम्भराज क्षेत्र के सत्र प्रकरण एवं धारा 438 व 439 द.प्र.सं. के अंतर्गत जमानत आवेदन पत्र।</p> <p>3 तहसील चांचौड़ा व कुम्भराज क्षेत्र से उत्पन्न रेप, गैंग-रेप, रेप विथ मर्डर के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं धारा 438, 439 द०प्र०सं० के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र।</p> <p>4 तहसील चांचौड़ा व कुम्भराज क्षेत्र से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित समस्त सत्र प्रकरण एवं धारा 438, 439 द०प्र०सं० के अंतर्गत जमानत आवेदन पत्र।</p> <p>5 तहसील चांचौड़ा एवं कुम्भराज क्षेत्र के लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पॉक्सो एक्ट) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं उनसे संबंधित धारा 438, 439 द०प्र०सं० के अंतर्गत जमानत आवेदन-पत्र सहित अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियां।</p> <p>6 तहसील चांचौड़ा एवं कुम्भराज क्षेत्र के बालक न्यायालय से संबंधित प्रकरण एवं उनसे संबंधित प्रतिभूति आवेदन पत्र।</p> <p>7 विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं धारा 437, 438, 439 द०प्र०सं० के अंतर्गत जमानत आवेदन पत्र।</p>

सं. क्र.	न्यायाधीश	न्यायिक क्षेत्राधिकारिता	प्रकरणों का प्रकार/स्वरूप
			8 तहसील चांचौड़ा व कुम्भराज क्षेत्र से उत्पन्न म0प्र0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम-2000 से संबंधित प्रकरण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियां।
			9 समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी व न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय चांचौड़ा तथा अनुविभागीय दण्डाधिकारी चाँचौड़ा द्वारा पारित निर्णय/दण्डादेश व आदेश (जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हो) के विरुद्ध अपील/पुनरीक्षण याचिकाएं।
			10 वर्तमान एवं तत्कालीन पदस्थ समस्त मजिस्ट्रेट द्वारा अल्प मात्रा वाले स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के मामलों में पारित निर्णय/आदेशों के विरुद्ध अपील एवं पुनरीक्षण याचिकाएं।
			11 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेन्ट एक्ट 1952 की धारा 7(2)के अन्तर्गत शासन/सत्र न्यायाधीश द्वारा सौंपे गये विशेष आपराधिक प्रकरण।
		तहसील सिविल चाँचौड़ा एवं कुम्भराज	12 तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश चांचौड़ा के द्वारा श्रृंखला न्यायालय गुना के दौरान तहसील चांचौड़ा व कुम्भराज क्षेत्र के निराकृत आपराधिक मामलों में समस्त प्रकार की कार्यवाही एवं अपील न्यायालयों प्राप्त प्रकरणों में विधि अनुसार कार्यवाहियां।
			13 मूलवाद 100,00,001/- (एक करोड़ एक) रूपये से अधिक मूल्यांकन के मय दिवालिया प्रकरण।
			14 समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ व कनिष्ठ खण्ड चाँचौड़ा के द्वारा व्यवहार वादों में पारित निर्णय/जयपत्र के विरुद्ध अपील व आदेशों विविध अपील।
			15 ग्राम न्यायाधिकारी जनपद पंचायत चाँचौड़ा के द्वारा सिविल प्रकरणों में पारित निर्णय के विरुद्ध अपील एवं आदेशों के विरुद्ध विविध अपील।
			16 थाना चाँचौड़ा एवं कुम्भराज क्षेत्र से उत्पन्न मोटर दुर्घटना की क्षतिपूर्ति के प्रकरण एवं धारा 165 (2) के संशोधन के फलस्वरूप प्रस्तुत कलेम प्रकरण तथा विविध प्रकरण।
			17 तहसील चाँचौड़ा एवं कुम्भराज क्षेत्र के कुटुम्ब न्यायालय के सुनवाई योग्य प्रकरण।
			18 तहसील चाँचौड़ा एवं कुम्भराज क्षेत्र के कॉर्मर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 (No. 4 of 2016) से संबंधित 01/- (एक रूपये) से लेकर 3,00,000/- (तीन लाख रूपये) के मूल्यांकन तक के समस्त प्रकार के सिविल प्रकरण।
			19 तहसील चाँचौड़ा एवं कुम्भराज क्षेत्र के (कॉर्मर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 No. 4 of 2016 को छोड़कर) आर्बिट्रेशन संबंधी प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण।

संक्र.	न्यायाधीश	न्यायिक क्षेत्राधिकारिता	प्रकरणों का प्रकार/स्वरूप
		20	तहसील चांचौड़ा एवं कुम्भराज क्षेत्र के पेट्रोलियम एवं मिनरल्स पाईप लाईन अधिनियम-1962 के अंतर्गत उद्भूत समस्त प्रकार के सिविल प्रकरण/आवेदन पत्र।
		21	तहसील चांचौड़ा एवं कुम्भराज क्षेत्र के भू-अर्जन एवं भूमि अधिग्रहण, पुर्णवास एवं पुनः स्थापन अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण।
		22	लघुवाद अधिनियम के 501/- रु0 से 1000/- रु0 तक के प्रकरण।
		23	म0प्र0 स्थान नियंत्रण अधिर0 1961 के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील।
		24	भारतीय उत्तराधिकार अधिर0 के अंतर्गत लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तथा प्रोबेट एक रूपये से किसी भी मूल्यांकन तक के प्रकरण।
		25	गार्जियन एण्ड वार्डस एक्ट 1890 के अंतर्गत हिन्दू मायोनिरिटी एण्ड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के अंतर्गत सम्पूर्ण तहसील राघौगढ़ क्षेत्र के प्रकरण, जिनकी क्षेत्राधिकारिता प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय गुना एवं जिला न्यायाधीश राघौगढ़ को नहीं है।
		26	तहसील चांचौड़ा, कुम्भराज के नगरपालिका विधान के अधीन 501/-रु0 से अधिक मूल्यांकन तक के प्रकरण।
		27	तहसील चांचौड़ा व कुम्भराज क्षेत्र के किशोर न्याय अधिर0 की धारा 41 एवं मानसिक स्वास्थ्य अधिर0-1987 के तहत प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा विचारणीय प्रकरण।
		28	तत्कालीन जिला न्यायाधीश चांचौड़ा के द्वारा श्रृंखला न्यायालय गुना के दौरान तहसील चांचौड़ा एवं कुम्भराज क्षेत्र के निराकृत सिविल/कलेम प्रकरणों में समस्त प्रकार की कार्यवाही तथा अपील न्यायालयों प्राप्त प्रकरणों में विधि अनुसार कार्यवाहियां।
		29	माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत के द्वारा सिविल अपील नं0-9322 / 2022 गौहर मोहम्मद विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन व अन्य आदेश दि0-15.12.2022 में उल्लेखित निर्देशों के अनुक्रम में तहसील चांचौड़ा क्षेत्र से संबंधित पुलिस आरक्षी केन्द्र चांचौड़ा, कुम्भराज एवं मृगवास की ओर से प्रस्तुत प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट (First Accident Report), विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (Detailed Accident Report) एवं अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (Interim Accident Report)।
		30	प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
		31	सरल क्रमांक 1 लगायत 30 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।

सं. क्र.	न्यायाधीश	न्यायिक क्षेत्राधिकारिता		प्रकरणों का प्रकार/स्वरूप
11.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, गुना (म0प्र0)	तहसील गुना एवं बमौरी	1	व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 75,00,001/- रूपये (पिचहत्तर लाख एक) से 1,00,00,000 रूपये (एक करोड़) तक हो।
			2	तहसील गुना एवं बमौरी क्षेत्र के 1,00,00,000 रूपये (एक करोड़) रूपये तक के मूल्यांकन के दिवालिया प्रकरण।
			3	म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें।
			4	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु प्रकरण।
			5	पूर्व में पदस्थ व्यवहार न्यायाधीशगण के द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रकरणों में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बावत् पारित आदेशों से संबंधित विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां।
			6	लघुवाद अधिनियम के अधीन 500/- रूपये तक के प्रकरण।
			7	लोकोपयोगी सेवाओं के लिये स्थायी लोक अदालत द्वारा पारित अधिनिर्णय से उत्पन्न निष्पादन कार्यवाही।
			8	प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय—समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			9	सरल क्रमांक 1 लगायत 8 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
12.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, गुना (म0प्र0)	तहसील गुना एवं बमौरी	1	व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 50,00,001/- रूपये (पचास लाख एक) से 75,00,000/- (पिचहत्तर लाख) रूपये तक हो।
			2	ग्राम न्यायाधिकारी जनपद पंचायत गुना के द्वारा ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 से उत्पन्न सिविल प्रकरण।
			3	प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय—समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			4	सरल क्रमांक 1 लगायत 3 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
13.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, गुना (म0प्र0)	तहसील गुना एवं बमौरी	1	व्यवहार वाद, जिनका मूल्यांकन 35,00,001/- रूपये (पैंतीस लाख एक) से लेकर 50,00,000/- (पचास लाख) रूपये तक हो।
			2	मुख्यालय पर पूर्व में पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड जिनके न्यायालय वर्तमान में रिक्त हैं, के द्वारा तथा तत्कालीन व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड आरोन के द्वारा श्रृंखला न्यायालय गुना के दौरान मुख्यालय गुना क्षेत्र के निराकृत समस्त सिविल प्रकरणों तथा अपील न्यायालयों से प्राप्त प्रकरणों में विधि अनुसार कार्यवाहियां।
			3	प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय—समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			4	सरल क्रमांक 1 लगायत 3 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।

सं. क्र.	न्यायाधीश	न्यायिक क्षेत्राधिकारिता		प्रकरणों का प्रकार/स्वरूप
14.	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, गुना (म0प्र0)	तहसील गुना एवं बमौरी	1	प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय—समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			2	सरल क्रमांक 1 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
15.	पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, गुना (म0प्र0)	तहसील गुना एवं बमौरी	1	व्यवहार वाद, जिनका मूल्यांकन 25,00,001/- रुपये (पच्चीस लाख एक) से लेकर 35,00,000/- (पैंतीस लाख) रुपये तक हो।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय—समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			3	सरल क्रमांक 1 लगायत 2 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
16.	प्रथम अतिव्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, गुना (म0प्र0)	तहसील गुना एवं बमौरी	1	व्यवहार वाद, जिनका मूल्यांकन 15,00,001/- रुपये (पन्द्रह लाख एक) से लेकर 25,00,000/- (पच्चीस लाख) रुपये तक हो।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय—समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			3	सरल क्रमांक 1 लगायत 2 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
17.	द्वितीय अतिव्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, गुना (म0प्र0)	तहसील गुना एवं बमौरी	1	व्यवहार वाद, जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- रुपये (पांच लाख एक) से 15,00,000/- (पन्द्रह लाख) रुपये तक हो।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय—समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			3	सरल क्रमांक 1 लगायत 2 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
16.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, गुना (म0प्र0)	तहसील गुना एवं बमौरी	1	प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय—समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			2	सरल क्रमांक 1 लगायत 3 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
17.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, गुना (म0प्र0)	तहसील गुना एवं बमौरी	1	प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय—समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			2	सरल क्रमांक 1 लगायत 3 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
18.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, गुना (म0प्र0)	तहसील गुना एवं बमौरी	1	प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय—समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			2	सरल क्रमांक 1 लगायत 3 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।

सं. क्र.	न्यायाधीश	न्यायिक क्षेत्राधिकारिता		प्रकरणों का प्रकार/स्वरूप
19.	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, गुना (म0प्र0)	तहसील गुना एवं बमौरी	1	माह दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च एवं अप्रैल की अवधि में प्रस्तुत व्यवहार वाद, जिनका मूल्यांकन 01/-रुपये (एक रुपये) से लेकर 1,00,000/-रुपये (एक लाख रुपये) तक हो।
			2	व्यवहार वाद, जिनका मूल्यांकन 2,50,001/- (दो लाख पचास हजार एक रु0) से 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) तक हो।
			3	पूर्व में कार्यरत एवं वर्तमान में रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गुना व प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गुना के न्यायालयों के द्वारा निराकृत समस्त सिविल प्रकरणों तथा अपील न्यायालयों प्राप्त प्रकरणों में विधि अनुसार कार्यवाहियां।
			4	प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय—समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			5	सरल क्रमांक 1 लगायत 4 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
			6	नोट:—प्रथम अतिः0 व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गुना के दीर्घकालिक अवकाश से लौटने तक उनके न्यायालय से संबंधित समस्त सिविल कार्य तथा अपील न्यायालयों प्राप्त प्रकरणों में विधि अनुसार कार्यवाहियां।
20.	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, गुना (म0प्र0)	तहसील गुना एवं बमौरी	1	प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय—समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			2	स0क्रं0—1 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
21.	प्रथम अतिःव्यव न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, गुना (म0प्र0)	तहसील गुना एवं बमौरी	1	माह मई—जून एवं जुलाई की अवधि में प्रस्तुत व्यवहारवाद, जिनका मूल्यांकन 01/-रुपये (एक रुपये) से लेकर 1,00,000/-रुपये (एक लाख रुपये) तक हो।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय—समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			3	स0क्रं0 1—2 के क्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
22.	द्वितीय अतिःव्य0 न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, गुना (म0प्र0)	तहसील गुना एवं बमौरी	1	माह अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर एवं नवम्बर की अवधि में प्रस्तुत व्यवहारवाद, जिनका मूल्यांकन 01/-रुपये (एक रुपये) से लेकर 1,00,000/-रुपये (एक लाख रुपये) तक हो।
			2	व्यवहार वाद, जिनका मूल्यांकन 1,00,001/- (एक लाख एक रुपये) से 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये) तक हो।
			3	प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय—समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			4	सरल क्रमांक 1 लगायत 3 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।

सं. क्र.	न्यायाधीश	न्यायिक क्षेत्राधिकारिता		प्रकरणों का प्रकार/स्वरूप
	नोट :—उपरोक्त पदस्थ चतुर्थ एवं द्वितीय अतिः ० व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गुना में से किसी न्यायाधीश के स्थानांतरित / न्यायालय रिक्त होने की दशा में उनके न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले एक रूपये से एक लाख रूपये के मूल्यांकन तक के व्यवहार प्रकरण अगले माह के क्रम पर आने वाले न्यायालय में प्रस्तुत होंगे और संबंधित न्यायाधीश उन प्रकरणों का विधि अनुसार निराकरण करेंगे।			
23.	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, आरोन जिला गुना (म०प्र०)	तहसील आरोन	1	व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन ५,००,००१(पांच लाख एक) से लेकर १,००,०००,०० (एक करोड़) तक हो।
			2	तहसील आरोन के १,००,०००,०० (एक करोड़) रूपये तक के मूल्यांकन के दिवालिया प्रकरण।
			3	लघुवाद अधिः ० के अंतर्गत ५००/- रु. तक के प्रकरण।
			4	म०प्र० नगर पालिका विधान के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
			5	मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण अधिनियम १९८६ के अंतर्गत समस्त प्रकरण।
			6	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु प्रकरण।
			7	पूर्व में कार्यरत व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड आरोन कैम्प गुना के द्वारा आरोन क्षेत्र के पूर्व में निराकृत समस्त सिविल प्रकरणों एवं अपील न्यायालयों प्राप्त प्रकरणों में विधि अनुसार कार्यवाहियां।
			8	प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय—समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			9	सरल क्रमांक १ लगायत ८ के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
24.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, आरोन जिला गुना (म०प्र०)	तहसील आरोन	1	व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन ०१/- (एक रूपये) से लेकर ५,००,०००/- (पांच लाख रूपये) तक हो।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय—समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			3	स०क्रं०—१ से २ के क्रम में उत्पन्न विविध, निष्पादन प्रकरण।
25.	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, राघौगढ़ जिला गुना (म०प्र०)	तहसील राघौगढ़ एवं मधुसूदनगढ़	1	व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन ५०,००,००१(पचास लाख एक) रूपये से लेकर १,०००,००,०० (एक करोड़) रूपये तक हो।
			2	तहसील राघौगढ़ एवं मधुसूदनगढ़ के १,००,०००,०० (एक करोड़) रूपये तक के मूल्यांकन के दिवालिया प्रकरण।
			3	लघुवाद अधिनियम के अंतर्गत ५०० रु० तक के प्रकरण।
			4	म०प्र० नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
			5	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन/प्रकरण।
			6	प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय—समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			7	स०क्रं१ से ६ के क्रम में उत्पन्न विविध, निष्पादन प्रकरण।

सं. क्र.	न्यायाधीश	न्यायिक क्षेत्राधिकारिता		प्रकरणों का प्रकार/स्वरूप
26.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, राघौगढ़ जिला गुना (म0प्र0)	तहसील राघौगढ़ एवं मधुसूदनगढ़	1	व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- (पाँच लाख एक) रुपये से लेकर 50,00,000/- (पचास लाख) रुपये तक हो।
			2	मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।
			3	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के रिक्त न्यायालय से संबंधित समस्त सिविल प्रकरणों एवं अपील न्यायालयों से प्राप्त प्रकरणों में विधि अनुसार कार्यवाहियां।
			4	प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय—समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			5	सरल क्रमांक 1 लगायत 4 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
27.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, राघौगढ़ जिला गुना (म0प्र0)	तहसील राघौगढ़ एवं मधुसूदनगढ़	1	माह जनवरी से अप्रैल की अवधि में प्रस्तुत व्यवहारवाद, जिनका मूल्यांकन 01/-रुपये (एक रुपये) से लेकर 1,00,000/-रुपये (एक लाख रुपये) तक हो।
			2	व्यवहारवाद जिनका मूल्यांकन 4,00,001/- (चार लाख एक रुपये) से लेकर 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) तक हो।
			3	प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय—समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			4	सरल क्रमांक 1 लगायत 3 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
28.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, राघौगढ़ जिला गुना (म0प्र0)	तहसील राघौगढ़ एवं मधुसूदनगढ़	1	माह मई से अगस्त की अवधि में प्रस्तुत व्यवहारवाद, जिनका मूल्यांकन 01/-रुपये (एक रुपये) से लेकर 1,00,000/-रुपये (एक लाख रुपये) तक हो।
			2	व्यवहार वाद, जिनका मूल्यांकन 2,00,001/- (दो लाख एक रुपये) से लेकर 4,00,000/- (चार लाख रुपये) तक हो।
			3	प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय—समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			4	सरल क्रमांक 1 लगायत 3 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
29.	प्रथम अंतिम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, राघौगढ़ जिला गुना (म0प्र0)	तहसील राघौगढ़ एवं मधुसूदनगढ़	1	माह सितम्बर से दिसम्बर की अवधि में प्रस्तुत व्यवहारवाद, जिनका मूल्यांकन 01/-रुपये (एक रुपये) से लेकर 1,00,000/-रुपये (एक लाख रुपये) तक हो।
			2	व्यवहार वाद, जिनका मूल्यांकन 1,00,001/- (एक लाख एक रुपये) से लेकर 2,00,000/- (दो लाख रुपये) तक हो।
			3	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड राघौगढ़ के रिक्त न्यायालय से संबंधित प्रस्तुत समस्त सिविल प्रकरणों एवं अपील न्यायालयों से प्राप्त प्रकरणों में विधि अनुसार कार्यवाहियां।

संक्र.	न्यायाधीश	न्यायिक क्षेत्राधिकारिता		प्रकरणों का प्रकार/स्वरूप
			4	प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय—समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			5	सरल क्रमांक 1 लगायत 4 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
				नोट :—उपरोक्त पदस्थ प्रथम, द्वितीय एवं प्रथम अति० व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड राघौगढ़ में से किसी न्यायाधीश के स्थानांतरित/न्यायालय रिक्त होने की दशा में उनके न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले एक रूपये से एक लाख रूपये के मूल्यांकन तक के व्यवहार प्रकरण अगले माह के क्रम पर आने वाले न्यायालय में प्रस्तुत होंगे और संबंधित न्यायाधीश उन प्रकरणों का विधि अनुसार निराकरण करेंगे।
30.	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, चौचौड़ा जिला गुना (म०प्र०)	तहसील चौचौड़ा, कुम्भराज	1	तहसील चांचौड़ा व कुम्भराज क्षेत्र के व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 50,00,001(पचास लाख एक) रूपये से लेकर 1,000,00,00 (एक करोड़) रूपये तक हो।
			2	तहसील चांचौड़ा व कुम्भराज क्षेत्र के 1,000,00,00 (एक करोड़) रूपये तक के मूल्यांकन के दिवालिया प्रकरण।
			3	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय चांचौड़ा द्वारा ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 से उत्पन्न समस्त सिविल प्रकरण।
			4	लघुवाद अधिनियम के अंतर्गत 500/-रूपये तक के प्रस्तुत प्रकरण।
			5	म०प्र० नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
			6	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन/प्रकरण।
			7	प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय—समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			8	सरल क्रमांक 1 लगायत 7 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
31.	अति० व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, चौचौड़ा जिला गुना (म०प्र०)	तहसील चौचौड़ा, कुम्भराज	1	तहसील चांचौड़ा व कुम्भराज क्षेत्र के व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- ( पांच लाख एक ) रूपये से लेकर 50,00,000/- (पचास लाख) रूपये तक हो।
			2	मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
			3	पूर्व में कार्यरत व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड चांचौड़ा, जिनका न्यायालय वर्तमान में रिक्त हैं, के न्यायालयों के समस्त सिविल प्रकरणों एवं अपील न्यायालयों से प्राप्त प्रकरणों में विधि अनुसार कार्यवाहियां।
			4	प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय—समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			5	सरल क्रमांक 1 लगायत 4 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।

सं. क्र.	न्यायाधीश	न्यायिक क्षेत्राधिकारिता		प्रकरणों का प्रकार/स्वरूप
32.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, चॉचौड़ा गुना (म0प्र0)	तहसील चॉचौड़ा,	1	तहसील चांचौड़ा क्षेत्र के व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 01/-रुपये (एक रुपये) से लेकर 5,00,000/-रुपये (पाँच लाख) तक हो।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय—समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			3	सरल क्रमांक 1 लगायत 2 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
33.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, चॉचौड़ा गुना (म0प्र0)	तहसील कुम्भराज	1	तहसील कुम्भराज क्षेत्र के व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 01/-रुपये (एक रुपये) से लेकर 5,00,000/-रुपये (पाँच लाख) तक हो।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय—समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			3	सरल क्रमांक 1 लगायत 2 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।

2. नीचे दी गई सारणी के कॉलम नं0 2 में दर्शाये न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति अथवा अवकाशकाल में, सारणी के कॉलम नं0 3 में वर्णित न्यायिक अधिकारी आवश्यक कार्य संपादित करेंगे।

क्रं0	न्यायिक अधिकारी	न्यायिक अधिकारी जो आवश्यक कार्य घटते अनुक्रम में उपलब्धता (Downward on availability) अनुसार करेंगे।
1	2	3
1.	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना	<ol style="list-style-type: none"> <li>विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) गुना</li> <li>प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गुना</li> <li>द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गुना</li> <li>तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गुना</li> <li>चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गुना</li> <li>पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गुना</li> <li>सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गुना</li> </ol>
2.	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), गुना	<ol style="list-style-type: none"> <li>द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गुना</li> <li>प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गुना</li> <li>तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गुना</li> <li>पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गुना</li> <li>चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गुना</li> <li>प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना</li> </ol>
3.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गुना	<ol style="list-style-type: none"> <li>तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गुना</li> <li>चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गुना</li> <li>पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गुना</li> <li>सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गुना</li> <li>द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गुना</li> <li>विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) गुना</li> </ol>









निर्देश :-

- 1— जो सत्रवाद जिस न्यायालय में लम्बित हैं, उनके प्रतिभूति आवेदन पत्र उसी पीठासीन न्यायाधीश के न्यायालय में सीधे प्रस्तुत होंगे।
- 2— माननीय म0प्र0 उच्च न्यायाधीश जबलपुर की अधिसूचना क्रं0-C/2262 दिनांक 14.09.2020 एवं मेमो नं0-C/1654/III-6-89 दिनांक 18.04.2022 के संदर्भ में विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0एकट) गुना का स्थानांतरण होने/न्यायालय रिक्त होने/अवकाश पर रहने की दशा में मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा एन.डी.पी.एस. एकट के मामलों में प्रस्तुत आवश्यक प्रकृति के आवेदनों की सुनवाई की जाएगी।
- 3— माननीय म0प्र0 उच्च न्यायाधीश जबलपुर की अधिसूचना क्रं0-C/2264 दिनांक 14.09.2020 एवं मेमो नं0-C/1654/III-6-89 दिनांक 18.04.2022 के संदर्भ में विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एकट) गुना का स्थानांतरण होने/न्यायालय रिक्त होने/अवकाश पर रहने की दशा में मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अथवा वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश के उपलब्ध न होने की स्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुना द्वारा एस.सी./एस.टी. एकट के मामलों में प्रस्तुत आवश्यक प्रकृति के आवेदनों की सुनवाई की जाएगी।
- 4— तहसील राघौगढ़ एवं चांचौड़ा के मजिस्ट्रेट न्यायालयों के ऐसे मामले, जो सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं, वे मामले सत्र न्यायालय गुना की ओर उपार्पित न होकर, तहसील स्तर पर संबंधित अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को सीधे उपार्पित होंगे तथा उन सत्र मामलों के पंजीयन के साथ—साथ प्रस्तुत अपील, निगरानी एवं विविध आप0 मामलों के पंजीयन की कार्यवाही भी संबंधित अपर सत्र न्यायालयों के द्वारा की जाकर उनका विधिवत विचारण किया जाएगा।
- 5— विशेष मामलों हेतु अधिसूचित विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारणीय मामले, जिनमें आई0पी0सी0 की धारा सम्मिलित हो सहित विशेष मामलों में रिमाण्ड/अभियोग पत्र मुख्यालय स्थित संबंधित (अधिसूचित) विशेष न्यायाधीशों तथा तहसील स्थित अपर सत्र न्यायाधीशों के न्यायालयों में प्रस्तुत होंगे।
- 6— प्रधान जिला न्यायाधीश गुना के अवकाशकाल/अनुपस्थिति की दशा में उनके न्यायालय का आवश्यक सिविल कार्य क्रमशः प्रथम/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/सप्तम/जिला न्यायाधीश गुना के द्वारा सम्पादित किया जाएगा।
- 7— तृतीय जिला न्यायाधीश गुना के अवकाशकाल/अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक सिविल कार्य क्रमशः प्रथम/पंचम/सप्तम/चतुर्थ/जिला न्यायाधीश गुना द्वारा सम्पादित किया जाएगा।
- 8— प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय गुना के अवकाश/प्रशिक्षण/श्रृंखला न्यायालय पर जाने/स्थानान्तरित होने की दशा में उनके न्यायालय का आवश्यक प्रभार क्रमशः विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), प्रथम/तृतीय/पंचम/सप्तम/चतुर्थ/जिला न्यायाधीश गुना पर रहेगा।
- 9— न्यायाधीश के अवकाश/अनुपस्थिति की दशा में अवकाश प्रभार अनुसार संबंधित न्यायाधीश द्वारा सी0सी0डी0/क्लेम की राशि का भुगतान कराया जाएगा।
- 10— अपर सत्र न्यायाधीश राघौगढ़ एवं चांचौड़ा के अवकाशकाल में सामान्य अनुक्रम में उनके न्यायालय के दाइडक प्रकरणों पर उक्त दिनांक की आदेश पत्रिकाओं/वारण्ट आदि पर संबंधित मुख्यालय राघौगढ़ एवं चांचौड़ा पर वरिष्ठता के क्रम में उपलब्ध न्यायिक दण्डाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे।
- 11— ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश के समय सिविल कोर्ट एकट 1958 की धारा 21(4) के अंतर्गत अत्यावश्यक स्वरूप के व्यवहार प्रकरण उसी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे, जिन्हें कार्य विभाजन पत्रक अनुसार क्षेत्राधिकारिता प्राप्त है। उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने की दशा में कार्य विभाजन पत्रक अनुसार प्रभार रखने वाले न्यायाधीश द्वारा उन प्रकरणों में विधि अनुसार सुनवाई की जाएगी, इसके लिए प्रधान जिला जज की विशेष अनुमति आवश्यक नहीं होगी।
- 12— अवकाश प्रभार में उल्लेखित किन्हीं न्यायाधीश के स्थानांतरण की दशा में उनके स्थान पर स्थानान्तरित होकर आने वाले न्यायाधीश के लिए, जब तक कि अन्य सक्षम आदेश पारित न हो, अवकाश प्रभार संबंधी आदेश यथावत क्रियाशील माना जाएगा।
- 13— यह कार्य विभाजन आदेश पूर्व में जारी कार्य विभाजन आदेशों के अधिक्रमण में होकर लम्बित प्रकरणों के संबंध में भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखेगा।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
गुना (म0प्र0)

पृष्ठाकंन क्रं0— / सां0 / 2023

गुना, दिनांक 21.08.2023

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसीपल रजिस्ट्रार, म0प्र0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर की ओर माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति महोदय,(जिला गुना) म0प्र0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु सादर प्रेषित।
2. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) गुना
4. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय गुना
5. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/सप्तम जिला न्यायाधीश, गुना
6. जिला न्यायाधीश, राघौगढ़/चांचौड़ा
7. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना
8. कलेक्टर, जिला गुना
9. पुलिस अधीक्षक, जिला गुना
10. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/प्रथम अति०/द्वितीय अति० व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा
11. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/ प्रथम अति०/द्वितीय अति० व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गुना
12. प्रथम/प्रथम अति०/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड आरोन/राघौगढ़
13. प्रथम/द्वितीय/व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड चांचौड़ा
14. प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीशगण, गुना
15. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना
16. प्रशासनिक अधिकारी, कार्या० प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना
17. प्रभारी अधिकारी फाईलिंग रिसीविंग सेक्शन गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा
18. अध्यक्ष अभिभाषक संघ गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा
19. लोक अभियोजन अधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय गुना
20. लोक अभियोजक जिला गुना  
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)  
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
 गुना (म0प्र0)